संख्या-2/1328/38-4-14-05(बजट)/2012

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक-10 दिसम्बर, 2014**

विषय:-लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2050/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-01 नवम्बर,2013 तथा शासनादेश संख्या-26/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-19 जून, 2014 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण की संशोधित आच्छादन क्षेत्रफल तथा शासकीय अनुदान का निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले लोहिया ग्रामीण आवास का आकार/क्षेत्रफल को 28.30 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर किया गया है, के परिणाम स्वरूप बढ़े क्षेत्रफल एवं वर्तमान निर्धारित मानक दर (एस0ओ0आर0) के दृष्टिगत लोहिया ग्रामीण आवास की शासकीय सहायता रू0-2.75 लाख से बढ़ाकर रू0-3.05 लाख की गई है, जिसमें निर्माण हेतु रू0-2.75 लाख तथा सोलर लाइट सुविधा के लिये रू0-0.30 लाख सम्मिलित है। इस हेतु निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करके अंकित लागत व डिजाइन एवं योजना के अन्तर्गत निर्धारित आवास आकार क्षेत्रफल व ले-आउट न्यूनतम 30 वर्ग मीटर अवश्य रहेगा, जिसकी सुनिश्चिता होगी। आकार ले-आउट संलग्न है।

(2)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी द्वारा अपनी सुविधा व व्यवहारिकता के दृष्टिगत आवास का क्षेत्रफल अर्थात ले-आउट बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ा सकता है, परन्तु ले-आउट के अनुसार आवास की फर्स व चौखट में कमी नहीं होगी।

2- मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतिमाह एक टीम भेजकर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

3- इस प्रकार योजना की सफलता हेतु युद्धस्तर पर एक अभियान चलाया जायेगा और प्रगति हेतु

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

कम्पलीट स्ट्रक्चर का फोटो अपलोड कराकर मूल्यांकन कराया जायेगा। इसे समीक्षा का आधार माना जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/1328(1)/38-4-2014, तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2-प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/समाज कल्याण/वैकल्पिक ऊर्जा एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0 ।
4- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/3
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण अनुभाग।
10- एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in